संख्या-837/2018/879/22-2-2018-17(436)/2016

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान पुत्र श्री नवाबजान, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20593/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-06-09-2016) दिनांक-06-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 06-06-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान पुत्र श्री नवाबजान, निवासी-जेल रोड पुलिस स्टेशन, थाना-कोतवाली, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। मकान के कब्जे को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.11.1978 को प्रात: लगभग 08:45 बजे इकबाल की छूरी व गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-108/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 26.02.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.2018 तक 16 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.11.1978 को प्रात: लगभग 08:45 बजे इकबाल की छूरी व गोली मारकर हत्या करने का अपराध कारित किया है। पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की संभावना है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान पुत्र श्री नवाबजान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान (बन्दी संख्या-36949) पुत्र श्री नवाबजान, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-837/2018/879(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-837/2018/879/22-2-2018-17(436)/2016

दिनांक 02 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान (बन्दी संख्या-36949) पुत्र श्री नवाबजान, निवासी-जेल रोड पुलिस स्टेशन, थाना-कोतवाली, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। मकान के कब्जे को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.11.1978 को प्रात: लगभग 08:45 बजे इकबाल की छूरी व गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-108/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 26.02.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.2018 तक 16 वर्ष, 10 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 11.11.1978 को प्रात: लगभग 08:45 बजे इकबाल की छूरी व गोली मारकर हत्या करने का अपराध कारित किया है। पुलिस अधीक्षक की आख्यानुसार बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की संभावना है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ने ऊर्फ राहतजान पुत्र श्री नवाबजान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in